भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2137 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

पोत-निर्माण संबंधी परियोजनाएं

†2137. श्री प्रवीण पटेल:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री मनोज तिवारी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टी.एस.एच.डी. ड्रैजर, कोच्चि वाटर मेट्रो फेरियां, आई.डब्ल्यू.ए.आई. पोत और बोलार्ड पुल टग सहित सी.एस.एल. और इसकी सहायक कंपनियों को दी गई घरेलू पोत निर्माण परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई हैं;
(ख) जर्मनी, साइप्रस, नीदरलैंड्स, यूके और नॉर्वे से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पोत निर्माण क्रयादेशों की स्थिति क्या है;
(ग) भारतीय नौसेना के लिए ए.एस.डब्ल्यू. कॉर्वेट और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स सहित रक्षा पोत निर्माण परियोजनाओं की स्थिति क्या है; और
(घ) सी.एस.एल की पोत निर्माण क्षमता को सुदृढ करने के लिए 'मेक इन इंडिया' और पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): कोचीन शिपयार्ड और उसकी सहायक कंपनियों की घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और रक्षा क्षेत्रों में चल रही पोत निर्माण परियोजनाओं में जलयानों की संख्या और कुल ऑर्डर मूल्य क्रमशः ₹3,690 करोड़ के ऑर्डर मूल्य वाले 40 जलयान, ₹9,868 करोड़ के ऑर्डर मूल्य वाले 38 जलयान और ₹16,217 करोड़ के

ऑर्डर मूल्य वाले 14 जलयान हैं। इन परियोजनाओं में निर्माण के विभिन्न चरण जैसे कि डिजाइन और इंजीनियरिंग, पतवार निर्माण और जलयान के जलावतरण के बाद का उन्नत चरण शामिल हैं।

(घ): भारत सरकार द्वारा पोत निर्माण में 'मेक इन इंडिया' को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम, जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सहित भारत के सभी शिपयार्डों पर लागू होते हैं, निम्नानुसार हैं:

i. भारत सरकार ने भारतीय शिपयार्डों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में संवर्धन हेतु ₹24,736 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) शुरू की है। इसमें ₹4,001 करोड़ के परिव्यय के साथ एक पोत भंजन संबंधी क्रेडिट नोट योजना भी शामिल है, जिसके तहत पोत स्वामियों को एचकेसी मानकों के अनुरूप भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्ड में पुनर्चक्रित पोत के स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर क्रेडिट नोट प्राप्त होता है। इस क्रेडिट नोट का उपयोग भारतीय शिपयार्ड में निर्मित नए पोत के मूल्य के 5% तक के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिससे घरेलू पोत पुनर्चक्रण और पोत निर्माण दोनों को बढ़ावा मिलता है।

ii. समुद्री विकास निधि (एमडीएफ), जिसकी कुल कॉर्पस 25,000 करोड़ रुपये है, की स्थापना पोत निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। इसमें 20,000 करोड़ रुपये की समुद्री निवेश निधि और 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है।

iii. पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के लिए 19,989 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रीनफील्ड पोत निर्माण समूहों को समर्थन देते हुए घरेलू पोत निर्माण क्षमता को प्रतिवर्ष 4.5 लाख सकल टनभार तक बढ़ाना है।

iv. सितंबर 2025 में, सरकार ने बड़ी पोत निर्माण परियोजनाओं को अवसंरचना का दर्जा दिया, जिससे उन्हें दीर्घावधि के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुंच प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आगामी दशक में मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर निर्मित होने वाले 400 से अधिक जलयानों की मांग का आकलन किया है, जिससे भारतीय यार्डो को ऑर्डर मिलने की संभावना स्पष्ट हो गई है।

v. सार्वजनिक प्रापण फ्रेमवर्क के तहत यह अनिवार्य है कि 200 करोड़ रुपये तक के सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जलयान संबंधी ऑर्डर भारतीय शिपयार्डों को ही दिए जाएं। इसके अतिरिक्त, आरओएफआर नीति के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी निविदाओं में भारतीय निर्मित पोतों को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद भारतीय ध्वज वाले और भारतीय स्वामित्व वाले पोतों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे घरेलू पोत निर्माण की मांग सुदृढ़ होती है।
